बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-अ०सां०नि०/स्था-12-06/2018 12 पटना, दिनांक- 24.10.18

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गया, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पू०चम्पारण, प०चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार।

विषयः- मुख्यशीर्ष 3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से खरीफ मौसम 2018 में गौण फसलों (बीमित फसलों को छोड़कर) फल-सब्जी के जिला स्तरीय फसल कटनी प्रयोग सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹7,23,600/-(सात लाख तेईस हजार छः सौ रूपये) का आबंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने पत्र संख्या-354 दिनांक-28.03.2018 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2018 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 28.03.2018 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार निदेशालय के स्वीकृत्यादेश संख्या- 2081 दिनांक 10.10.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के विषय शीर्ष 13.01-कार्यालय व्यय मद के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 29 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 08 तारीख तक CTMIS की सत्यापित प्रति के साथ अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

9. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998, बिहार, वित्त नियमावली एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10. आवंटित राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-2081 दिनांक 10.10.2018 के आलोक में फल सब्जी के जिला स्तरीय फसल कटनी प्रयोग सम्पादन हेतु नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में विकलनीय होगा।

विश्वासभाजन

23/x

बजट सहायक प्रशाखा पदा० उप निदे०(लेखा) सं० निदे०(प्र०) निदेशक

ज्ञापांक- 12 दिनांक- 24-10-18

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/x

निदेशक

ज्ञापांक- 12 दिनांक- 24-10-18

प्रतिलिपिः- संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/x

निदेशक

ज्ञापांक- 12 दिनांक- 24-10-18

प्रतिलिपिः- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/उप निदेशक (कृषि)/ सहायक निदेशक (कृषि), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रति में)/कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश है कि आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

23/x

निदेशक

परिशिष्ट- I

मुख्य शीर्ष–3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 205–राज्य सांख्यिकी एजेंसी, 0101–समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 का आवंटन विवरणी। मांग सं0–35 एवं विपत्र कोड–35–3454022050101

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	13–01 कार्यालय व्यय	20–03 प्रशिक्षण व्यय	13–02 वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	(28–02) संविदा सेवायें (मानदेय)	(16–01) प्रकाशन एवं मुद्रण (प्रपत्रों का मुद्रण)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला सांख्यिकी कार्यालय							
1	नालन्दा	14000	0	0	0	0	14000
2	भोजपुर	14000	0	0	0	0	14000
3	बक्सर	23800	0	0	0	0	23800
4	रोहतास	9800	0	0	0	0	9800
5	गया	33600	0	0	0	0	33600
6	सारण	12600	0	0	0	0	12600
7	सिवान	26600	0	0	0	0	26600
8	गोपालगंज	19200	0	0	0	0	19200
9	मुजफ्फरपुर	27300	0	0	0	0	27300
10	पूर्व चम्पारण	48600	0	0	0	0	48600
11	प० चम्पारण	44200	0	0	0	0	44200
12	सीतामढ़ी	19900	0	0	0	0	19900
13	शिवहर	13300	0	0	0	0	13300
14	वैशाली	42700	0	0	0	0	42700
15	दरभंगा	21000	0	0	0	0	21000
16	मधुबनी	41300	0	0	0	0	41300
17	समस्तीपुर	53200	0	0	0	0	53200
18	जमुई	4200	0	0	0	0	4200
19	बेगूसराय	4200	0	0	0	0	4200
20	खगड़िया	4200	0	0	0	0	4200
21	भागलपुर	13200	0	0	0	0	13200
22	बाँका	12600	0	0	0	0	12600
23	सहरसा	12600	0	0	0	0	12600
24	सुपौल	21600	0	0	0	0	21600
25	मधेपुरा	30700	0	0	0	0	30700
26	पूर्णियाँ	43800	0	0	0	0	43800
27	किशनगंज	41900	0	0	0	0	41900
28	अररिया	27100	0	0	0	0	27100
29	कटिहार	42400	0	0	0	0	42400
	योगः–	723600	0	0	0	0	723600

(सात लाख तेईस हजार छः सौ) रुपये मात्र।

बजट सहायक | प्रशा पदा० | उप नि० (लेखा) | सं० निदे०(प्र०) | निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(BSCAS)